## Ruling regarding Discussion Under Rule -72

**श्री गौरव गोगोई :** सर, आप बोलिए कि क्या यह चर्चा है या नियम - 72 के अधीन प्रक्रिया है?? (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह उस विषय को किस तरीके से लेते हैं ।

नियम - 72(1) का पहला परंतुक वर्णित करता है कि ?यदि विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय-वस्तु इस सभा की विधायनी क्षमता से परे है । ?.? अब सबसे पहले वक्ता माननीय मनीश तिवारी जी ने यह विषय रखा तथा दूसरे वक्ताओं ने भी रखा । यह विधायनी क्षमता से परे है ।

इसीलिए जब उन्होंने यह विषय रखा । इस नियम में यह भी लिखा है - ??तो अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्यों को विधेयक के उपबंधों पर अपने मत रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । ? इसके तहत हमने उन्हें अपने विचार रखने की अनुमति दी ।

अब गौरव गोगोई जी, आप बोलिए ।

**श्री गौरव गोगोई :** सर, इसका मतलब है कि रूल नंबर 72 के बाहर जा सकते हैं, धन्यवाद । ? (व्यवधान)

**गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) :** सर, एक मिनट ।

गौरव जी, नियम 72 के बाहर भी जा सकते हैं । ? (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** वही तो पूछ रहे हैं । ? (व्यवधान)

**श्री अमित शाह :** एक सैकेंड रुकिए । अध्यक्ष जी, ने जो बोला है, उसको मैंने ध्यान से सुना है । उन्होंने नियम 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है । उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य, मनीश तिवारी जी ने नियम 72 का हवाला दे कर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने

विचार रख सकता है । अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है का मतलब विरोध ही करना है । मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कि पक्ष में भी बोल सकते हैं । ? (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं, इस नियम में संक्षेप में लिखा है ।

? (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** मैं आदरणीय गृह मंत्री को यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे, तो भी वह समर्थन नियम 72 पर ही रह सकता है । जनरल वह चर्चा पर नहीं ला सकते हैं, समर्थन के लिए । ? (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हाँ ठीक है ।

**माननीय अध्यक्ष :** लॉबीज़ खोल दी जाएं ।

सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

**13.54 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.*

---

**15.00 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.*

(Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

**MATTERS UNDER RULE 377***

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are

desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.